ऑनलाइन आवेदन, आधार से होगी पहचान

15 जुलाई से पेपरलेस रजिस्ट्री, अब मोबाइल पर मिलेगी डीड

भास्कर न्यूज | पटना

बिहार में 15 जुलाई से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होगी। इसके बाद निबंधन विभाग खरीदार और विक्रेता से कोई ऑफलाइन दस्तावेज नहीं लेगा। आवेदन के समय सभी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद खरीदार और विक्रेता के मोबाइल पर डीड की पीडीएफ का लिंक भेजा जाएगा। इसे घर बैठे डाउनलोड किया जा सकेगा।

महानिबंध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री का ट्रायल पूरा कर लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऑरजनरल रजिस्ट्री पेपर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। विभाग के अधिकारिथों के मुताबिक अब रजिस्ट्री के लिए कातिव से मुजप्रम (विमुत्त) लिखवाने को जरूरत नहीं होगी। जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते ही मुजप्रूम के साथ पीडीएफ तैयार हो जाएगी। खरीदार और विक्रेता को पहचान आधार से होगी।